न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/60/2015	2015/00153	08–10–2015	11–02–2021

1– फूलचन्द पुत्र प्रभु जाति मेघवाल निवासी बासड़ा किशनगढ़बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 (मृतक)
1/1– लालाराम
1/2– विक्रम
1/3– बलबीर सिंह
1/4– बिजेन्द्र सिंह
1/5– हरिपाल पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 **–अपीलान्ट्स**

बनाम

1– रमेश दत्तक पुत्र श्यामलाल जाति जैन निवासी किशनगढ़बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0
2– तहसीलदार किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 **–रेस्पाडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढ़–बास का निर्णय दिनांक 15.06.2015 अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री सुनील कुमार –वकील अपीलान्ट्स
02 श्री आशीष मालानी –वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 15.06.2015 जिसके द्वारा बेजा तौर पर खारिज किया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.09.2015 को हुई। नकल प्राप्त कर जानकारी तारीख से अंदर मियाद अपील पेश की गई। ऐहतियात के तौर पर दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पृथक से पेश किया गया है। आराजी खसर नम्बर 382 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्रम किशनगढ़बास में स्थित है। जिस आराजी में अपीलांट 23 बिस्वा के खातदेार काश्तकार है। 23 बिस्वा आराजी अपीलांट की, 35 बिस्वा कमलखां की व 35 बिस्वा कन्हैया की थी। तीनों द्वारा उक्त आराजी का बाहामी विभाजन करके डोल बांध रखी थी। विभाजन के बाद जब सड़क निकली तो कमलखां का करीब–करीब सारा खेत सड़क में चला गया। जिसका मुआवजा कमलखां ने ले लिया। अपीलांट की 9 बिस्वा भूमि सडक में नहीं गयी ना ही अपीलांट को उक्त 9 बिस्वा भूमि का मुआवजा अदा किया गया। कमलखां द्वारा अपीलांट की भूमि रूपांतरण के वक्त लिख कर दिया गया था कि सड़क में मेरी जमीन गयी है फूलचन्द की नहीं गयी है। फूलचन्द की मात्र 1 बिस्वा जमीन सड़क में गयी है जो सड़क का एक कौना है। मौके पर अब भी अपीलांट की भूमि खाली पडी है। अपीलांट ने रमेशचन्द को कोई जमीन नहीं बेची है। रमेश ने नाजाइज तरीके से अपीलांट की भूमि पर कब्जा करके 2 दुकानें बना ली है। रमेश वगै0 ने कमलखां का हिस्सा खरीद लिया–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

है और नाजाइज हमारी जमीन पर 2 दुकानें बनायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके पर रेकॉर्ड की जांच किये इस आधार पर अपीलांट का प्रा0पत्र खारिज किया है कि अपीलांट की 9 बिस्वा भूमि सड़क में गयी है जबकि सड़क में अपीलांट का मात्र 1 बिस्वा रकबा ही गया है। अपीलांट का खाली प्लॉट अब भी मौके पर मौजूद है। अपीलांट अनुसूचित जाति के गरीब है। रैस्पो0 स्वर्ण जाति के पैसे वाले लोग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारे तथ्य स्पष्ट होने के बावजूद भी अपीलांट का प्रा.पत्र 183 बी आरटीएक्ट खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.06.2015 खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत् है क्योंकि अपीलांट की कुल 23 बिस्वा आराजी में से 14 बिस्वा आराजी का बेचान अपीलांट द्वारा किया जा चुका है तथा शेष 09 बिस्वा भूमि सड़क प्रयोजनार्थं चली गयी है। जिससे प्रार्थी के हिस्से में कोई भूमि शेष नहीं बची है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अपीलांट की 23 बिस्वा आराजी में से 14 बिस्वा आराजी का बेचान होना पाया जाता है लेकिन सड़क प्रयोजनार्थं 09 बिस्वा भूमि सड़क में जाने का कोई साक्ष्य/प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही अपीलांट को उक्त 09 बिस्वा भूमि का सड़क प्रयोजनार्थं जाने हेतु मुआवजा आदि देने का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार किशनगढ़–बास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की पैमाईश कर समस्त दस्तावेजात् की जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

11/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)